अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध वाद सं० 03 (III) /2017-18

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
29/4/17	आवेदिका श्रीमति सुमित्रा देवी पति भगवान साव सा० – धनबाद, जिला धनबाद ने मौजा दुहाटॉड मौजा नं० 47 खाता नं० 40 प्लॉट सं० 537 रकवा 02 कट्टा भूमि के कायम जमाबंदी सं० 515 में लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मॉग करें। अभिलेख दिनांक 12/5/17 को रखें। 29/04/17 अंचल अधिकारी, धनबाद।	
12/5/17	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन समर्पित। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा दुहाटॉड, मौजा नं० 47, खता नं० 40, प्लॉट सं० 537 रकवा 02 डिसमिल भूमि निबंधित दलील सं० 7730 दिनांक 14.07.86 द्वारा खरीदगी भूमि है। जिसका लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक वसूल किया गया है। आवेदित भूमि रैयती खाते की है। परन्तु लिपिकीय भूलवश पंजी ।। में 02 डिसमिल के स्थान पर 02 कट्टा दर्ज हो गया है। जिसे सुधार हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है। अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है मौजा दुहाटॉड, मौजा नं० 47, खता नं० 40, प्लॉट सं० 571 रकवा 02 क० के स्थान पर 02 डिसमिल कायम जमाबंदी सं० 515 में दर्ज करना सुनिश्चित करेगें। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें। लेखापित एंव संशोधित। 12/05/17 अंचल अधिकारी, धनबाद। 12/05/17 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापांक 619 दिनांक 12/05/17

प्रेषित,

श्री नवीन कुमार सिन्हा
राजस्व कर्मचारी , हल्का नं0 III, धनबाद।

आपके द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि निदेश दिया जाता है मौजा दुहाटॉड, मौजा नं0 47, खाता नं0 40, प्लॉट सं0 571 रकबा 02 डि0 के स्थान पर 02 डिसमिल कायम जमाबंदी सं0 515 मे दर्ज करना सुनिश्चित करेगें।

12/05/17

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

सेवा में

अंचल अधिकारी महोदय —
— [illegible]

विषय - रकबा सुधार करने हेतु

महाशय,

नम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं [illegible] सुमित्रा देवी पति भगवान दास मौजा नं० 47 मौजा कुहारांड केवाला सं० 7730 दिनांक 14.7.86 को खाता नं० 40 प्लाट नं० 537 रकबा 2 डी० जमीन खरीद किया है, पर ऑनलाइन [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होता है जिसका ज० नं० 515 है जिसमें भूल वश रकबा 2 डी० के जगह 2 कट्ठा दर्ज हो गया है अतः

श्रीमान से प्रार्थना है कि जमाबंदी रकबा के जगह 2 डी० सुधार करने की कृपा प्रदान की जाय [illegible] आभारी रहूंगा।

अं०अ०/अं०नि० [illegible] आवेदन का [illegible]

महाशय,

प्रश्नगत जमीन मौजा कुहारांड मौजा थाना 47 [illegible] खाता सं० 40 प्लाट सं० 537 रकबा 2 डी० [illegible] है जो रैयती खाते की है जिसका जमाबंदी [illegible] श्रीमती सुमित्रा देवी के नाम से ज०सं० 515 में कायम है [illegible] वर्ष 2014-15 तक निर्गत है। आवेदिका द्वारा [illegible] किया गया है कि दस्तावेज सं० 7730 दिनांक 14.7.86 [illegible] [illegible] खरीदा जमीन [illegible] ज०सं० 515 में रकबा 02 कट्ठा [illegible] [illegible] रकबा 02 डी० [illegible] [illegible] [illegible]